न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–06, लखीमपुर–खीरी।
उपस्थितः अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा।
दाण्डिक वाद सं०–91/2007
रजि नं०–600091/2007
CNR NO. UPLP01–000221–2007

उ०प्र० राज्य ––––अभियोगी।

बनाम

1–अजय कुमार शुक्ला उर्फ गुड्डू पुत्र रंगीलाल निवासी रमुआपुर सेमरी थाना धौरहरा, जिला खीरी।
2–आत्मप्रकाश शुक्ला पुत्र उत्तम कुमार निवासी रमुआपुर सेमरी थाना धौरहरा, जिला खीरी।
––––अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०–608/2006
धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज
विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम।
थाना–धौरहरा, जिला खीरी।

निर्णय

1– थाना–धौरहरा, जनपद लखीमपुर खीरी में पंजीकृत मु०अ०सं०–608/2006, अन्तर्गत धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण अजय कुमार शुक्ला, सुरेश अवस्थी व आत्मप्रकाश शुक्ला के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

2– संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, "मैं SHO विजय बहादुर सिंह मय कां० 75 दिलीप यादव, कां० 90 शहीर खां, कां० डॉ० लक्ष्मण प्रसाद जीप सरकारी नं०–UP31C5854 बहवाले रपट नं०–20 समय 12.35 रो०आ० इमरोजा थाने से रवाना होकर वास्ते देखभाल शान्ति व्यवस्था क्षेत्र में मामूर था कि जनता द्वारा ज्ञात हुआ कि अजय कुमार शुक्ला उर्फ गुड्डू पुत्र रंगीलाल, सुरेश अवस्थी पुत्र उत्तम कुमार अवस्थी, आत्म प्रकाश शुक्ला पुत्र उत्तर कुमार सर्व निवासीगण ग्राम रमुआ पुर मजरा सेमरी थाना धौरहरा खीरी का एक सुसंगठित गिरोह है, जो समाज विरोधी क्रिया कलाप में लिप्त रहकर अपने तथा अपने साथियों के लिये अनुचित आर्थिक लाभ के लिये विभिन्न प्रकार के अपराध हत्या, मारपीट तथा अन्य किस्म के अपराध करने के अभ्यस्त हो गये है। इनके व इनके गैंग के सदस्यों के विरूद्ध उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, थाना स्थानीय क्षेत्र में अपराध करके अनुचित तरीके से आर्थिक लाभ को प्राप्त करने की आम चर्चा है। इनके गैंग के भय एवं आतंक से जनता का की भी व्यक्ति इनके विरूद्ध गवाही देने एवं रिपोर्ट लिखाने का साहस नहीं करता है। इससे स्पष्ट है कि अजय कुमार शुक्ला उर्फ गुड्डू, सुरेश अवस्थी व आत्म प्रकाश शुक्ला उपरोक्त भा०दं०सं० के अध्याय 16,17 व 22 के अन्तर्गत अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी है। अभियुक्त द्वारा किये गये अपराधों से स्पष्ट है कि इनका एक सुसंगठित गिरोह है, जो अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करता है। इनका यह कृत्य धारा–2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। इनके गैंग के सदस्यों का गैंग चार्ट पुलिस उच्चाधिकारीगण की संस्तुति पर श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित है, जिसमें उनका आपराधिक इतिहास अंकित है।"

3– वादी मुकदमा एस०एच०ओ० विजय बहादुर सिंह द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण अजय कुमार शुक्ला, सुरेश अवस्थी व आत्मप्रकाश शुक्ला के विरूद्ध दिनांक 19–09–2006 को समय 21:10 बजे, थाना–धौरहरा, जिला खीरी में मु०अ०सं०–608/2006, धारा–2/3 उ०प्र०

गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसका इन्द्राज थाने की कायमी जी०डी० में विधिनुसार किया गया।

4– विवेचक द्वारा विवेचना की गयी तथा वादी मुकदमा व गवाहान के बयान अंकित किये। विवेचना में आये साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण अजय कुमार शुक्ला, सुरेश अवस्थी व आत्मप्रकाश शुक्ला के विरूद्ध मु०अ०सं०–608/2006, धारा–2/3 उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

5– अभियुक्तगण अजय कुमार शुक्ला, सुरेश अवस्थी व आत्मप्रकाश शुक्ला के विरूद्ध दिनांक 13–05–2015 को धारा–2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

6– अभियुक्त सुरेश अवस्थी की दौरान विवेचना मृत्यु हो जाने के कारण तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के आदेश दिनांकित 30–07–2025 के माध्यम से अभियुक्त सुरेश अवस्थी के विरूद्ध उक्त प्र–करण की कार्यवाही उपशमित की गयी। इस प्रकार वर्तमान वाद में मात्र अभियुक्तगण अजय कुमार शुक्ला व आत्मप्रकाश शुक्ला का विचारण किया जा रहा है।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू०–1 के रूप में घनश्याम, पी०डब्लू०–2 के रूप में HCP कैलाश यादव, पी०डब्लू०–3 के रूप में शकील अहमद व पी०डब्लू०–4 के रूप में विजय बहादुर सिंह को परीक्षित कराया गया।

8– अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में मु०अ०सं०–385/06 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1, गैंगचार्ट प्रदर्श क–1A व तहरीर प्रदर्श क–2 के रूप में प्रस्तुत कर साबित कराया गया है। इसके अतिरिक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट (मु०अ०सं०–608/06) व आरोप पत्र पत्रावली में संलग्न है, परन्तु जिन्हें अभियोजन द्वारा साबित नहीं कराया गया है।

9– अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं० प्र०सं० दिनांक 08–06–2006 को लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक तथा तथा साक्षी पी०डब्लू०–2 व पी०डब्लू०–4 को गलत तथा साक्षी पी०डब्लू०–1 व पी०डब्लू०–3 के बयान के सम्बन्ध में 'कुछ नहीं' कहने का कथन किया है। अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध गांव वाले के कहने से झूठा व फर्जी मुकदमा चलने का कथन किया है। अभियुक्तगण द्वारा अतिरिक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहा गया है।

10– अभियुक्तगण की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में सूची 15ख के माध्यम से आलोच्य आदेश दिनांकित 29–05–98 व आलोच्य आदेश दिनांकित 02–02–2015 की सत्यप्रतिलिपियां दाखिल की गयी है। अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11– विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर) एवं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

निष्कर्ष

12– अभियुक्तगण पर आरोप है कि भिन्न–भिन्न दिनांक को किसी समय भिन्न–भिन्न स्थानो पर थाना धौरहरा जिला खीरी की सीमा के अन्तर्गत आप लोग अपने गिरोह के सदस्यों के साथ अपने भौतिक एवं आर्थिक लाभ हेतु समाज विरोधी क्रिया कलापों में लिप्त रहे, जिसके कारण समाज में भय व्याप्त हो गया।

13– अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है। अभियुक्तगण ने गैंगचार्ट में वर्णित अपराध कारित कर लोक व्यवस्था को अस्त–व्यस्त किया है और आर्थिक, भौतिक तथा दुनियाबी लाभ प्राप्त करने हेतु मारपीट व हत्या जैसे अपराध करने के अभ्यस्त है। गिरोह का क्षेत्र में भय व आंतक है, जिस कारण उसके विरूद्ध कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता है।

अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को अभियोजन संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाये ।

14– अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को अभियोजन संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण द्वारा वर्णित अपराधों के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण दोषमुक्त किया जाये ।

15– पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) व विद्वान अधिवक्ता बचावपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखने पर प्रस्तुत प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु परीक्षण योग्य है–

(i)– क्या अभियुक्तगण किसी "गैंग" का सदस्य/ सरगना था ?

(ii)– क्या अभियुक्तगण ने गैंग के रूप में उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा–2(ख) में वर्णित समाज विरोधी क्रियाकलाप किया और अभियुक्तगण द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–3 का अपराध कारित किया ?

16– उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1886 की धारा 2 (ख) में ''**गिरोह**'' और धारा 2 (ग) में ''**गिरोहबंद**'' को परिभाषित किया गया है, इसलिये उक्त अधिनियम की धारा–2(ख) और 2(ग) के अनुसार अभियोजन को अपने साक्ष्य से यह साबित करना है कि अभियुक्तगण में से किसी एक अभियुक्तगण ने स्वयं या सभी अभियुक्तों ने सम्मिलित रूप से दुनियावी, आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या प्रपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से धारा–2 (ख) में वर्णित समाज विरोधी क्रिया कलाप किया है। अभि–योजन को यह भी साबित करना है कि अभियुक्तगण किसी गिरोह का सदस्या या सरगना या संगठनकर्ता है या वह गिरोह के क्रियाकलाप के किये जाने के पूर्व या पश्चात् दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता करता है या किसी अभियुक्तगण को जिसने क्रियाकलाप किया है, उसे संश्रय देता है।

17– आपराधिक विधि का मूलभूत सिद्धान्त है कि किसी भी आरोपित व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक कि वह विधि के अन्तर्गत दोषी साबित नहीं हो जाता। अभियोजन पर अपने प्रकरण को साबित करने का प्राथमिक भार होता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हितेन पी. दलाल बनाम ब्रतिन्द्रनाथ बनर्जी, (2001) 6 एस.सी.सी. 16, नरेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम म० प्र० राज्य (2004) 10 एस.सी.सी. 699, रंजीत सिंह ब्रम्हजीत सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2005) 5 एस.सी.सी. 294, एम.एस. नारायन मेनन उर्फ मणी बनाम केरल राज्य और अन्य (2006) 6 एस.सी.सी. 39, राजेश रंजन यादन उर्फ पप्पू यादव बनाम सी.बी.आई. द्वारा निदेशक (2007) 1 एस.सी.सी. 70** के मामलों में अभिनिर्धारित किया गया है, अपराध जितना गम्भीर होता है, सबूत उतना ही ठोस होना चाहिए। इस प्रकार किसी गंभीर अपराध के मामले में अभियुक्तगण को दोषी ठहराने के लिए उच्च स्तरीय साक्ष्य का होना आवश्यक है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पंजाब राज्य बनाम बल्देव सिंह (1999) 3 एस.सी.सी. 977 , तथा जितेन्द्र बनाम उ०प्र० राज्य (2004) 10 एस.सी. सी. 562** के मामलों में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

18– विधि व्यवस्था–**अकबर बनाम कर्नाटक राज्य, ए.आई.आर. 1979 सुप्रीम कोर्ट 1848 तथा हरेन्द्र सरकार बनाम असम राज्य ए.आई.आर. 2008 सुप्रीम कोर्ट 2467** में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन का यह दायित्व है कि संदेह से परे अपने वाद को सिद्ध करे तथा अभियोजन द्वारा इस गुणवत्ता का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए कि न्यायाधीश एक सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति की तरह यदि विचार करें तो उपलब्ध साक्ष्य से प्रत्येक परिस्थिति में यह सिद्ध हो कि अभियुक्तगण द्वारा ही अपराध कारित किया गया है, उसके दिमाग में कोई संशय उत्पन्न न हो।

19– विधि व्यवस्था **उ०प्र० राज्य बनाम फूल मियां, 1998(1) जे0 आई 0 सी0 792** में भी माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि ''सम्बद्ध व्यक्ति के सम्बन्ध में उसके

द्वारा किये गये कृत्यों को ठोस साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना चाहिए कि उसने वास्तविक रूप से वह कृत्य किये हैं, जिसका परिवाद किया गया है।''

20– गैंगचार्ट के अनुसार, अभियुक्त अजय कुमार शुक्ला के विरूद्ध मु०अ०सं०–385/06 धारा–147, 148, 149, 302, 504, 506 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–313/93 धारा–147, 148, 149, 325 भा०दं०सं०, मु०अ०सं०–63/96 धारा–147, 148, 149, 302 भा०दं०सं० व मु० अ०सं०–218/05, धारा–425, 323 भा०दं०सं० तथा अभियुक्त आत्मप्रकाश के वरूद्ध मु०अ०सं०–385/06 धारा–147, 148, 149, 302, 504, 506 भा०दं०सं० व मु०अ०सं०–218/05, धारा–425, 323 भा०दं०सं० थाना–धौरहरा, जिला लखीमपुर खीरी में पंजीकृत हैं।

21– **साक्षी पी०डब्लू०–1 घनश्याम** ने मुख्य परीक्षा बयान दिनांक 07–03–18 में बयान दिया है कि, "आज से करीब 26 साल पहले गांव में कुछ लोगो से मेरी कहासुनी हो गयी थी। इसी बीच बचाव में गिरने से चोट आ गयी थी। जिसकी मैने थाने पर सूचना दी थी। अजय, सुरेश, आत्म प्रकाश ने मझे मारापीटा नहीं था।"

22– न्यायालय की अनुमति से विद्वान विशेष लोक अभियोक (गैंगस्टर एक्ट) द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता। पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैने थाने पर कहासुनी की सूचना दी थी। तहरीर नहीं दी थी। पुलिस वालों ने कुछ कागजों पर निशानी अंगूठा लगवाये थे। कहासुनी वाले मुकदमें में मैंने समझौता कर लिया है। यह कहना गलत है कि आज मैं मुल्जिमानों से मिलकर सही बात नहीं बता रहा हूं।"

23– बचावपक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "सुरेश, अजय उर्फ गुड्डू, आत्म प्रकाश बदमाश किस्म के व्यक्ति नहीं है, भले लोग है। अजय उर्फ गुड्डू, सुरेश, आत्म प्रकाश का गांव मे व क्षेत्र में कोई डर भय नहीं है और न कभी रहा है।"

24– साक्षी पी०डब्लू०–1 घनश्याम ने अपने बयानों में कथित मूलभूत घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता से इंकार करते हुए मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि कुछ लोगो से उसकी कहासुनी हो गयी थी, इसी बीच बचाव में गिरने से उसे चोट आ गयी थी। उसे अजय, सुरेश व आत्मप्रकाश ने उसे मारापीटा नहीं था। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षा बयान में कथन किया है कि, "सुरेश, अजय उर्फ गुड्डू, आत्म प्रकाश बदमाश किस्म के व्यक्ति नहीं है, भले लोग है। अजय उर्फ गुड्डू, सुरेश, आत्म प्रकाश का गांव मे व क्षेत्र में कोई डर भय नहीं है और न कभी रहा है।" इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी के साक्ष्य से कथित अधारभूत घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी द्वारा अभियुक्तगण का क्षेत्र में किसी भी प्रकार के डर भय व आतंक होने सम्बन्धी तथ्य से इन्कार किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन को कोई सहायता नहीं मिलती है।

25– **पी०डब्लू०–2 HCP कैलाश यादव** ने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि, "दिनांक 13–07–06 को मैं बतौर कां० मोहर्रिर थाना धौरहरा में तैनात था। उस दिन मैंने वादी मुकदमा पुष्पेन्द्र कुमार शुक्ला की लिखित तहरीर के आधार पर अ०सं०–385/06 धारा–147,148,149,302,504,506 भा०दं०सं० में अभियुक्तगण अयज शुक्ला, सुरेश अवस्थी, रामनिवास मिश्र, सुरेन्द्र शुक्ला, आत्म प्रकाश शुक्ला, रामजी मिश्र के विरूद्ध दर्ज किया था। चिक की फोटो प्रति पत्रावली में संलग्न है। इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।"

26– **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "मैं थाना धौरहरा में वर्ष 2003 से 2006 तक तैनात रहा था। मुझे याद नहीं है वादी पुष्पेन्द्र कुमार थाने पर किस समय आया था। मुझे याद नहीं है कि वादी पुष्पेन्द्र कुमार के साथ कितने लोग आये। लिखित तहरीर वाद लेकर आया था, उसी के आधार पर एफ०आई०आर० दर्ज किया था। उक्त पत्रावली में चिक संलग्न है, तहरीर संलग्न नहीं है। तहरीर पुष्पेन्द्र ने प्रभारी निरीक्षक को नहीं दिया था। मुझे कार्यालय में दिया था। प्रभारी निरीक्षक को मैने नहीं पूछा था। एफ०आई०आर० मैने स्वयं लिख लिया था। अभियोग पंजीकृत करने के बाद मैंने प्राभारी निरीक्षक को बताया था। पुष्पेन्द्र कुमार को मैने नकल दिया था और वह चला गया था। उसके बाद क्या कार्यवाही हुई

है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट जिस दिन लिखी गयी, समय व दिनांक याद नहीं है। यह कहना गलत है कि पुष्पेन्द्र कुमार से लाभ अर्जित कर तुरन्त एफ०आई०आर० दर्ज कर दी और मैंने अपने अधिकारी को नहीं बताया। यह भी कहना गलत है कि पुष्पेन्द्र कुमार सले मेल जोल होने के कारण मैंने एफ०आई०आर० तुरन्त दर्ज कर दी थी।"

27– साक्षी पी०डब्लू०–2 HCP कैलाश यादव एक औपचारिक साक्षी तथा प्रकरण का चिक लेखक है, जिन्होने अपनी मुख्य परीक्षा बयान में आधारभूत मुकदमा मु०अ०सं०–385/2006 से सम्ब–न्धित चिक की प्रति को साबित किया है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षा बयान में कोई उल्लेखनीय बयान नहीं आया है, जिससे कथित आधारभूत मुकदमे में अभियुक्तगण की संलिप्तता दर्शित होती हो। यहां उल्लेखनीय है कि उक्त औपचारिक साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई उल्लेखनीय बयान नहीं आया है, जिससे अभियुक्तगण की संलिप्तता पर कोई प्रकाश पड़ता हो।

28– इसके अतिरिक्त यहां उल्लेखनीय है कि तत्सम्बन्धी मु०अ०सं०–385/2006, धारा–147,148,149,302,504,506 भा०दं०सं० प्रति अजय कुमार शुक्ला आदि में विद्वान न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–4, लखीमपुर–खीरी द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 02–02–2015 की सत्य–प्रतिलिपि बचावपक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार उक्त प्रकरण में वर्तमान प्रकरण के अभियुक्तगण को आरोपों से दोषमुक्त किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगस्टर अधीनियम के अन्तर्गत अभियोजन का मुख्य एवं वास्तविक आधार उक्त आपराधिक प्रकरण भी था, जिसे गैंगचार्ट में सम्मिलित कर वर्तमान अभियोजन पंजीकृत किया गया और उक्त आधारभूत मुकदमें में सक्षम न्यायालय द्वारा विस्तृत परीक्षण उपरान्त अभियुक्तगण को दोषी न पाते हुए दोषमुक्त किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त आपराधिक प्रकरणों से सम्बन्धित मूल तथ्यात्मक आधार, जिस पर गैंगस्टर अभियोजन आधारित था, अस्तित्वहीन हो जाता है।

29– **पी०डब्लू०–3 शकील अहमद** ने मुख्य परीक्षा दिनांक 19–01–24 में बयान दिया है कि, "घटना आज से लगभग 19 साल पहले की है। उस समय मैं ट्रक ड्राइवर था। भुलनपुर सेन्टर से ऐरा फैक्ट्री से गन्ना ढोता था। घटना वाले दिन मेरा ट्रक सेन्टर पर खड़ा था, तभी साम के करीब चार बजे 05–06 आदमी आ गये, ट्राली को बैक करते समय मेरे ट्रक का शीशा टूट गया था। इसी बात को लेकर विवाद व मारपीट हो गयी थी। अभियुक्तगण का नाम मैं नहीं जनता हूं। उन लोगो ने मुझे मारा था। मारपीट के वक्त मेरे मिल का स्टाफ आया था व मेरे मालिक आये थे, सब लोगो के साथ मैं गया था। उन लोगो ने नाम बताया था, उसी आधार पर मैंने मुकदमा लिखा दिया था। मुकदमा लिखने के बाद मे दरोगा जी ने मुझसे पूछताछ किया था।"

30– न्यायालय द्वारा पूछने पर इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "घटनास्थल पर मैने अभियुक्तगणों को देखा था। अभियुक्तगण यदि मेर सामने होगे तो मैं पहचान सकता हूं। अभियुक्तों का नाम मैं नहीं जानता हूं। हाजिर अदालत अभियुक्तगण अजय उर्फ गुड्डू, सुरेश अवस्थी और आत्म प्रकाश को देख कर साक्षी ने कहा कि मैं इनको जानता व पहचानता नहीं हूं।"

31– बचावपक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "मैं मूल निवासी नरगडा का हूं। मैं गन्ना ढोने वाला ट्रक चला रहा था। गन्ना सेन्टर पर काफी भीड़ थी। भीड़ भाड़ में मैं किसी को पहचान नहीं पाया कि किसने मारापीटा था। बाद में मैने सुना था कि प्रधान के चुनाव के रंजिश के कारण कुछ लोगो के नाम दर्ज कर दिया गया था।"

32– साक्षी पी०डब्लू०–3 शकील अहमद जो की कथित अधारभूत मुकदमा का चक्षुदर्शी साक्षी है, के मुख्य परीक्षा बयान के अनुसार, ट्राली को बैक करते समय उसके ट्रक का शीशा टूट गया था। इसी बात को लेकर विवाद व मारपीट हो गयी थी। अभियुक्तगण का नाम वह नहीं जनता है। न्यायालय द्वारा पूछने पर इस साक्षी ने बयान दिया है कि वह अभियुक्तों का नाम नहीं जानता है। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी ने अभियुक्तगण को जानने व पहचानने से भी इंकार किया गया है। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "मैं गन्ना ढोने वाला ट्रक चला रहा था। गन्ना सेन्टर पर काफी भीड़ थी। भीड़ भाड़ में मैं किसी को पहचान नहीं पाया कि किसने मारापीटा था। बाद में मैने सुना था कि प्रधान के चुनाव के रंजिश के कारण कुछ लोगो के नाम दर्ज कर दिया गया था।" इस प्रकार यहां उल्लेखनीय

है कि उक्त साक्षी भीड़–भाड़ के कारण पहचान नहीं पाया था कि उसे किसने मारापीटा था तथा आगे यह भी कथन किया है कि उसने सुना था कि प्रथान के चुनाव के रंजिश के कारण कुछ लोगो के नाम दर्ज कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन अपने पक्ष में कोई उल्लेखनीय बयान निकलवाने में सफल नहीं रहा है और न ही उक्त साक्षी के साक्ष्य में ऐसा कोई विशिष्ट कथन आया है, जिससे अभियुक्तगण की संलिप्तता आधारभूत मुकदमा में दर्शित होती हो।

33– **पी०डब्लू०–4 विजय बहादुर सिंह** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, "दिनांक 19–09–2006 को मैं थाना धौरहरा जिला खीरी के पद पर तैनात था। उस दिन समय 12:35 बजे बहवाले रपट नं०–20 इमरोजा थाने से रवाना होकर वास्ते देखभाल, शान्ति व्यवस्था में मामूर था कि जनता द्वारा ज्ञात हुआ कि क्षेत्र में अजय कुमार शुक्ला उर्फ गुड्डू पुत्र रंगीलाल, सुरेश अवस्थी पुत्र उत्तम कुमार अवस्थी, आत्मप्रकाश शुक्ला पुत्र उत्तम कुमार अवस्थी निवासी ग्राम रमुवापुर मजरा सेमरी थाना धौरहरा जिला खीरी का सुसंगठित गिरोह है, जो समाज विरोधी क्रिया कलापों में लिप्त रहकर अपने तथा अपने साथियों के लिये अनुचित आर्थिक लाभ हत्या मारपीट व अन्य किस्म के अपराध कारित करने के अभ्यस्त अपराधी है। इनके विरूद्ध कोई भी व्यक्ति जनता का न तो मुकदमा लिखाता है और गवाही देने का भी साहस नहीं करता है। इनका क्षेत्र में भय एवं आतंक व्याप्त है। इनका समाज में स्वच्छंद रहना समाज हित में नहीं है। मेरे द्वारा पूर्व में इस गैंग के विरूद्ध गैंगचार्ट तैयार कर उच्चअधिकारियों को हस्ताक्षर कराके तत्कालीन DM साहब से अनुमोदित कराकर थाना दाखिल किया गया। गैंगचार्ट पर मेरे हस्ताक्षर बने है। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। इस मुकदमें के लिये तहरीर मेरे द्वारा दी गयी थी। तहरीर पर मेरे हस्ताक्षर बने है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे।"

34– **प्रतिपरीक्षा** में इस साक्षी ने बयान दिया है कि, "मैं थाना धौरहरा में 2006 में तैनात हुआ था। माह व तारीख हमें याद नहीं है। मैं शान्ति व्यवस्था में मामूर था कि मुझे किसी के द्वारा सूचना मिली थी, उसके आधार पर शंका करते हुए मैंने गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की थी। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। भय व आतंक के कारण कोई गवाह नहीं मिला। जिससे मैं साक्ष्य करवाता। मेरे द्वारा कई लोगो से बातचीत की गयी थी, किसी ने नाम पता उजागर न हो इसलिये कुछ नहीं बताया। मुझे मुखबिर द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में गुन्डा गर्दी आदि का अपराध करते है। प्रश्न–पब्लिक द्वारा आपको अभियुक्तगणों के बारे में कुछ बताया गया? उत्तर– 'अभियुक्तगणों का भय व आतंक था, इस कारण कोई जनता का व्यक्ति अपना नाम पता उजागर होने के कारण इनके भय से कोई बात बताने से डरता था।' प्रश्न– पब्लिक द्वारा आपको क्या किसी अपना नाम उजागर किया या नहीं? उत्तर–'जनता के व्यक्तियों ने अभियुक्तगणों के भय के कारण अपना नाम पता नहीं बताया।' प्रश्न–बिना किसी के बताये पर आप किसी को अभियुक्त बना लेगे? उत्तर–'उपरोक्त अभियुक्तगणों के भय के कारण किसी ने गवाही नहीं दी। इनका अपराधिक इतिहास है।' मेरा ट्रान्सफर धौरहरा से 2007 में हुआ था। मेरे साथ तीन सिपाही गये थे। एक नाम दिलीप है और दो का नाम याद नहीं है। मैं असलहा लेकर नहीं चलता। हमराही असलहा लेकर चलते है। असलहा मे रायफल था, बाकी मुझे याद नहीं। जो गवाह इस वाद में है, उनको विवेचक ने बनाया है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मै यह नहीं बता सकता कि विवेचक ने मेरा बयान कितने दिन बाद लिया था। यह कहना गलत है कि मैंने शक के आधार पर गैंगेस्टर का मुकदमा लिखाया हो। यह भी कहना गलत है कि मैंने फर्जी कार्यवाही करने के लिये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी। यह भी कहना गलत है कि मुझे विपक्षी पार्टी से कोई प्रलोभन मिला हो।"

35– उक्त साक्षी के मुख्य परीक्षा बयान के अनुसार, दिनांक 19–09–2006 को वह थाना धौरहरा जिला खीरी के पद पर तैनात था। उस दिन समय 12:35 बजे बहवाले रपट नं०–20 इमरोजा थाने से रवाना होकर वास्ते देखभाल, शान्ति व्यवस्था में मामूर था कि जनता द्वारा ज्ञात हुआ कि क्षेत्र में अजय कुमार शुक्ला, सुरेश अवस्थी व आत्मप्रकाश शुक्ला का सुसंगठित गिरोह है, जो समाज विरोधी क्रिया कलापों में लिप्त रहकर अपने तथा अपने साथियों के लिये अनुचित आर्थिक लाभ हत्या मारपीट व अन्य किस्म के अपराध कारित करने के अभ्यस्त अपराधी है। इस साक्षी ने तहरीर देकर मुकदमा लिखाया तथा गैंगचार्ट तैयार किया। प्रतिपरीक्षा में बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूछे जाने पर कि बिना किसी के बताये पर आप किसी को अभियुक्त बना लेंगे? जिसके उत्तर में इस साक्षी ने बयान दिया है कि,'उपरोक्त

अभियुक्तगणों के भय के कारण किसी ने गवाही नहीं दी। इनका अपराधिक इतिहास है।' यहां महत्वपूर्ण है कि उक्त साक्षी ने आपराधिक इतिहास के आधार पर तहरीर देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। इस प्रकार यहां उल्लखनीय है कि गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमो में से तत्सम्बन्धी मु०अ०सं०–385/2006, धारा–147,148,149,302,504,506 भा०दं०सं० प्रति अजय कुमार शुक्ला आदि में विद्वान न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–4, लखीमपुर–खीरी द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 02–02–2015 व मु०अ०सं०–63/1996 धारा–147,148,302/149 भा०दं०सं० व धारा–3(2)(5) अनु० जाति अनु० जनजाति (आत्म०निवा०) अधिनियम बनाम गुड्डू उर्फ अजय कुमार आदि में विद्वान न्यायालय द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश, खीरी द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 29–05–98 की सत्यप्रतिलिपियां बचावपक्ष की ओर से प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार, उक्त प्रकरणों में वर्तमान प्रकरण के अभियुक्तगण को भी आरोपों से दोषमुक्त किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगस्टर अधीनियम के अन्तर्गत अभियोजन का मुख्य एवं वास्तविक आधार उक्त आपराधिक प्रकरण भी था, जिसे गैंगचार्ट में सम्मिलित कर वर्तमान अभियोजन पंजीकृत किया गया और उक्त आधारभूत मुकदमें में सक्षम न्यायालय द्वारा विस्तृत परीक्षण उपरान्त अभियुक्तगण को दोषी न पाते हुए दोषमुक्त किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त आपराधिक प्रकरणों से सम्बन्धित मूल तथ्यात्मक आधार, जिस पर गैंगस्टर अभियोजन आधारित था, अस्तित्वहीन हो जाता है। इस प्रकार उक्त साक्षी के साक्ष्य से भी अभियुक्तगण की कथित आधारभूत मुकदमों मे अभियुक्तगण की संलिप्तता पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है और नही अभियोजन को इससे कोई सहायता मिलती है।

36– **Vinod Bihari Lal v. State of U.P., 2025 SCC Online SC 1216,** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया है कि गैंगचार्ट और स्वीकृति मात्र औपचारिक "rubber stamp" नहीं हो सकती, सक्षम प्राधिकारी को स्वतंत्र रूप से सामग्री पर विचार करना आवश्यक है।

37– **Vinay Kumar Gupta V. State of U.P., (Neutral Citation No.–2025 : AHC : 79679 (Application u/s 482 No.–20422 of 2024) and Kamalveer Singh V. State of U.P., (Neutral Citation No.–2025 : AHC : 87524–DB (Criminal Misc. Writ petition No.–16327 of 2024)** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि गैंग–चार्ट में दर्शाये गये आधारभूत मुकदमों की स्थिति, आरोप पत्र, लम्बित कार्यवाही और प्रासंगिक सामग्री स्पष्ट होने चाहिये; गैंगस्टर एक्ट का प्रयोग यांत्रिक ढंग से नहीं किया जा सकता।

38– ये भी विधिक स्थिति है कि यदि आधारभूत मुकदमों का साक्ष्य ही अभियुक्तगण को समाज/ विरोधी गिरोह गतिविधि से नहीं जोड़ता, तो मात्र गैंगचार्ट या पुलिस राय के आधार पर दोषसिद्धि सुरक्षित नहीं मानी जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने ऐसे मामलों में प्रेक्षित किया है कि गैं–गस्टर एक्ट की कार्यवाही आधारभूत आपराधिक सामग्री से पृथक होकर शून्य में खड़ी नहीं रह सकती **(maxim–*Sublato Fundamento, cadit opus*) (Ramesh Kumar V. State of U.P., Application u/s 482 No.–358 of 2024)।**

39– अभियोजन की ओर से गैंगचार्ट में वर्णित अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी वादी अथवा पीड़ित साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है और न की किसी स्वतंत्र साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है, जिससे अभियुक्तगण की कथित घटनाक्रम में संलिप्तता के सम्बन्ध में कोई प्रकाश पड़ता हो।

40– गैंगस्टर अधिनियम का उद्देश्य किसी व्यक्ति को मात्र अभियोगित (accused) होने के आधार पर दण्डित करना नहीं है, अपितु ये सिद्ध करना है कि वह व्यक्ति किसी "गैंग" का सदस्य/ लीडर है, संगठित एवं निरन्तर आपराधिक गतिविधियों में संलग्न है तथा आर्थिक, भौतिक लाभ हेतु अपराध कर रहा है। जब आधारभूत मुकदमें में अभियुक्तगण की संलिप्तता ही न्यायिक परीक्षण में सिद्ध नहीं हुई, तब उसी घटना के आधार पर गैंग सदस्यता एवं संगठित अपराध का निष्कर्ष निकालना स्पष्टतया विधिसम्मत मानक के विपरीत होगा। अभियोजन ऐसा कोई भी स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है, जिससे मूलभूत तथ्य साबित होते हो।

41– न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से ऐसा कोई स्वतंत्र जनसाक्षी, सम्भ्रान्त व्यक्ति या पीड़ित प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे ये सिद्ध हो सके कि अभियुक्तगण के गिरोह से समाज में वास्तविक भय अथवा आतंक था। इस प्रकार यहां उल्लेखनीय है कि परीक्षित साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और न ही उससे अभियोजन अपने समर्थन में कोई तथ्य निकलवा पाने में सफल रहा है। अतः अभियोजन युक्ति–युक्त संदेह से परे यह सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है कि अभियुक्तगण किसी "गैंग" के सदस्य/ सरगना रहे हो तथा उसने संगठित गैंग के रूप में धारा–2(ख) में वर्णित समाज–विरोधी क्रियाकलाप किया हो। तद्नुसार उक्त बिन्दु अवधारित किया जाता है।

42– इस प्रकार उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचना तथा उपर्युक्त विधिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है। अतः अभियुक्तगण अजय कुमार शुक्ला व आत्मप्रकाश शुक्ला पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–2/3 उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

43– अभियुक्तगण अजय कुमार शुक्ला व आत्मप्रकाश शुक्ला को दाण्डिक वाद सं०–91/2007, मु०अ०सं०–608/2006, थाना–धौरहरा, जिला लखीमपुर खीरी में आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–2/3 उत्तर प्रदेश समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

44– अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके जमानत प्रपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उनके प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

45– अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–481 के तहत मु० 30,000–30,000/–(तीस–तीस हजार) रूपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि की दो–दो विश्वसनीय प्रतिभू इस निर्णय की तिथि के 07 दिवस के अन्दर, इस न्यायालय में इस बाबत दाखिल करें कि उन्हें जब कभी इस न्यायालय द्वारा या अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किया जायेगा, तब वे इस न्यायालय में या अन्यथा निर्देशित न्यायालय में उपस्थित होंगे।

दिनांकः 03–07–2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–6/
विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट)
लखीमपुर–खीरी।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 1561

उक्त निर्णय/ आदेश आज स्वयं मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः 03–07–2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०–6/
विशेष न्यायाधीश (यू०पी० गैगेस्टर एक्ट)
लखीमपुर–खीरी।
जे.ओ.कोड–यू.पी. 1561

Digitally signed by ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.07.03 16:43:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court